राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– मुसप्र/2022/219 दिनांकः– 25/5/22

आदेश

आवासीय अभियन्ता, खण्ड–कोटा/उप आवासन आयुक्त वृत्त–कोटा एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–तृतीय, जयपुर के अधीन राजस्थान आवासन मण्डल की सुनेल आवासीय योजना, कोटा में **23 आवासीय भूखण्डों** का निस्तारण ई–ऑक्शन के माध्यम से अनुशंषा के आधार पर निस्तारण करने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	योजना का नाम	आवासीय भूखण्ड	कुल
1	सुनेल, कोटा	**1-D-5, 1-D-14, 1-D-17, 1-D-18, 2-F-1, 2-F-3, 2-F-6, 2-F-7, 2-F-9, 2-F-13, 2-F-26, 1-E-4, 1-E-5, 1-E-7, 1-E-9, 2-E-3, 1-E-13, 1-E-15, 1-E-16, 1-E-21, 1-F-8, 2-B-3, 2-B-4**	**23**
	कुल		**23**

उपरोक्त 23 आवासीय भूखण्डों के संबंध में प्रदत्त उक्त स्वीकृति आवासीय अभियन्ता, खण्ड–कोटा एवं उप आवासन आयुक्त, वृत्त–कोटा द्वारा की गई अनुशंषा एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा समीक्षा बैठक 05.07.2018 में प्रदत्त निर्देशानुसार मण्डल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 1182 दिनांक 23.03.2017 में निर्धारित शर्तों के अध्यधीन होगी, जो निम्नानुसार हैः–

1. आवासीय योजना में आवास/फ्लैट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याची को आवास/फ्लेट/आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हो लम्बित नहीं है।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर इस तथ्य का प्रमाणन भी किया जावें कि उस योजना में नीलामी योग्य अन्य आवासीय संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/2014–15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावें।
3. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार–प्रसार के माध्यम से किया जावें।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं हैं। ''निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत् किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत् कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।
5. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के साथ समकक्ष आवास/ भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावें।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का संबंधित पत्रावली पर पैरा संख्या 23/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।

(डॉ. प्रीति सिंह पंवार)
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

संयुक्त एनालिस्ट

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सहायक–सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता–प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता–तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत–कोटा, राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा।
7. उप आवासन आयुक्त, वृत–मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–कोटा, राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा।
9. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड़ व सभी सम्बन्धित को मेल करें।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक